उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : 573 /XVII-B-1/2020–07(05)/2016
देहरादून : दिनांक : 27 फरवरी, 2020

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2336/XVII-B-1/2019–07(05)/2016, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019" की सरकारी गजट में प्रकाशित प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून को उक्त प्रकाशित नियमावली की 150 प्रतियां प्रेषित।
11. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (यथास्थिति), (द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण)।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर. के. तोमर)
संयुक्त सचिव।

डाक प्राप्त 13/05/20
पत्रांक 22

13/5/20

Director

UO letters 2020

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 2336/XVII–B–1/2019–07(05)/2016–उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 6 वर्ष, 2016) की धारा 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उत्तराखण्ड में मदरसों की मान्यता हेतु शर्तें निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:–

उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019" है। (2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएँ	2.	(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में :– (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है; (ख) "विभाग" से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है; (ग) "परिषद्" से तात्पर्य 'उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्' से है; (घ) "जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी" से जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल के सन्दर्भ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा शेष जनपदों के सन्दर्भ में जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिप्रेत है; (ङ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है; (च) "कामिल" से बोर्ड की स्नातक उपाधि अभिप्रेत है; (छ) "आलिम" से बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है; (ज) "मौलवी/मुंशी" से बोर्ड की माध्यमिक स्तरीय परीक्षा का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है; (झ) "फौकानिया" से उच्च प्राथमिक कक्षा (VI से VIII) अभिप्रेत है; (ञ) "तहतानिया" से प्रारम्भिक कक्षा (एक से पाँच तक) अभिप्रेत है; (ट) "प्रधान" से संस्था के प्रधान (प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जैसी भी स्थिति हो) अभिप्रेत है; (2) उन शब्दों और पदो के जो इस विनियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

संस्थाओं की मान्यता	3.	(क) मदरसा की मान्यता के लिए निम्नवत् दो श्रेणियाँ होंगी :– (एक) स्थायी (दो) अस्थायी (ख) कोई मदरसा, जो स्थायी मान्यता के लिए आवेदन करता है, उसे समस्त निर्धारित शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त स्थायी मान्यता प्रदान की जा सकेगी। (ग) समस्त निर्धारित शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में अस्थायी मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा सकेगी कि प्रबन्ध समिति लिखित रूप से यह आश्वासन दे कि मान्यता के सभी मापदण्डों को अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। अस्थायी मान्यता केवल पाँच वर्षो के लिए विधिमान्य होगी। (घ) जिस मदरसा को अस्थायी मान्यता प्रदान की जा चुकी है, समस्त वांछित शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त उसकी प्रबन्ध समिति स्थायी मान्यता हेतु आवेदन कर सकेगी। (ङ) प्रत्येक स्तर के मदरसों, जैसा कि अधोवर्णित विनियम 5(2) में इंगित है, की मान्यता परिषद् की मान्यता समिति के अनुमोदन से निबन्धक द्वारा प्रदान की जाएगी।
आवेदन करने हेतु अर्हता	4.	मदरसा के संचालन में रूचि रखने वाले मुस्लिम समुदाय की प्रबन्ध समिति के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी मान्यता प्रदान की जा सकेगी :– (क) मदरसे की सोसाइटी 'सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860' के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हो ; परन्तु यदि कोई मदरसा वक्फ सम्पत्ति में अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट के अधीन संचालित हो, तो उसे भी विनियम 3 (ग) के अधीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जा सकेगी। (ख) मदरसा की प्रबन्ध समिति में कोई विवाद न हो। (ग) मदरसा स्थायी मान्यता की सभी शर्तें पूर्ण करता हो।
विन्यास एवं सुरक्षित कोष	5.	(1) मुन्शी एवं मौलवी स्तर की एक बार मान्यता हेतु रूपये 2000/– का नकद या भूमि/भवन के रूप में विन्यास आवश्यक है। नकद विन्यास निबन्धक के नाम से बन्धक होगा। यदि विन्यास भूमि अथवा भवन के रूप में हो तो मदरसा प्रबन्धक इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं निबन्धक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना अन्तरित, विक्रीत अथवा हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। (2) प्रत्येक मदरसा हेतु एक ऐसी निश्चित धनराशि निबन्धक के नाम बन्धक रखी जाएगी, जैसा परिषद् द्वारा विहित किया जाय। (3) आवेदन एवं मान्यता हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से निम्नलिखित लेखा शीर्षक में जमा की जाएगी :– "0250" अन्य सामाजिक सेवायें "800" अन्य व्यय "02" अन्य प्राप्तियाँ "02" मदरसों से प्राप्तियाँ बालक/बालिका (निस्वाँ) मदरसों की मान्यता हेतु आवेदन पत्र परिषद् की वेबसाईट–www.ukmadarsaboard.org.in से डाउनलोड कर या निबन्धक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे तथा शुल्क निबन्धक के लेखाशीर्षक में किसी कैलेण्डर वर्ष की 01 जनवरी से 31 मार्च तक जमा किया जा सकेगा।
मान्यता हेतु भवन की शर्तें	6.	(1) प्रत्येक मदरसे का एक भवन होगा। विभिन्न मदरसों की मान्यता के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे–

		(एक) तहतानिया स्तर :– 300 वर्ग फीट माप के तीन शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग फीट माप का एक कार्यालय कक्ष। (दो) फौकानिया स्तर :– 300 वर्ग फीट माप के 05 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग फीट माप का एक कार्यालय कक्ष। (तीन) मुन्शी/मौलवी स्तर :– 300 वर्ग फीट माप के 09 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग फीट माप के पुस्तकालय सहित 03 कार्यालय कक्ष। (चार) आलिम (सानवीया) स्तर :– 300 वर्ग फीट माप के 11 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग फीट माप के पुस्तकालय सहित 03 कार्यालय कक्ष। (पॉच) कामिल (स्नातक) स्तर :– उपरोक्त के अतिरिक्त कामिल की प्रत्येक कक्षा हेतु 300 वर्ग फीट माप का एक–एक शिक्षण कक्ष तथा 300 वर्ग फीट माप का एक पुस्तकालय कक्ष। (छः) फाजिल (स्नातकोत्तर) स्तर :– उपरोक्त के अतिरिक्त फाजिल की प्रत्येक कक्षा हेतु 300 वर्ग फीट माप का एक–एक शिक्षण कक्ष आवश्यक है। (2) पूर्व से ही निर्मित भवन अथवा किराये के भवन के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक छूट दी जा सकेगी परन्तु स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु संस्था का निजी भवन उपरिवर्णित मापदण्ड के अनुरूप निर्मित कराना आवश्यक है। (3) स्थायी मान्यता के लिए आवश्यक होगा कि भूमि/भवन मदरसा के नाम हो अथवा मदरसा की संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम हो और यदि सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम हो तो प्रबंधक/ट्रस्टी, जो विलेख सम्पादित करने का अधिकार रखता हो, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से इस बात का इकरारनामा आवश्यक रूप से करेगा कि वह भूमि (जिस पर मदरसा निर्मित है) निबन्धक के लिखित अनुमोदन के बिना न तो बेची जाएगी और न ही अन्तरित की जाएगी। मदरसे हेतु वक्फ से प्राप्त भूमि पर निर्धारित मानक के अनुसार मदरसा हेतु निर्मित भवन स्थायी मान्यता के लिए पर्याप्त माना जाएगा। **स्पष्टीकरण** :– निजी भवन का तात्पर्य ऐसा भवन है, जो संस्था की अथवा उसकी सोसाइटी या ट्रस्ट के स्वामित्व की, अथवा संस्था के लाभ हेतु वक्फ शुदा भूमि पर स्थापित है।
मान्यता हेतु उपकरण एवं अन्य अपेक्षाएं	7.	(1) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु टाट–पट्टी अथवा दरी, छोटी डेस्क/बेन्च और डेस्क/मेज और कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी मान्यता के लिये भी फौकानिया एवं अन्य उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु डेस्क आवश्यक होगी। श्यामपट्ट, आलमारी, शिक्षकों हेतु कुर्सी–मेज एवं अन्य शैक्षिक सामग्री की आवश्यकतानुसार व्यवस्था होनी चाहिए। (2) फौकानिया स्तर तक के पाठ्यक्रम की ₹ 5,000/– मूल्य की एवं इससे उच्च स्तर की प्रत्येक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की ₹ 2,000/– मूल्य की पुस्तकें मदरसे में होना आवश्यक हैं। (3) मुन्शी/मौलवी स्तर तक की मान्यता के लिए न्यूनतम् 150 विद्यार्थी आवश्यक हैं जिसमें मुन्शी/मौलवी के विद्यार्थियों की संख्या 30 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक उच्चतर कक्षा की मान्यता के लिए वर्तमान वर्ष में न्यूनतम् 10 विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। (4) मान्यता हेतु आवेदन पत्र प्रबंध समिति द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसे का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर विस्तृत निरीक्षण आख्या सहित मान्यता आवेदन पत्र निबन्धक को प्रेषित कर दिया जाएगा। निबन्धक, उप निबन्धक एवं मान्यता समिति के सदस्यों द्वारा आवश्यक होने पर मदरसे का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकता है।

		(5) निरीक्षण के समय मान्यता की निर्धारित शर्तों में जो कमियाँ पाई जाएगी, वह मदरसा प्रबन्ध तन्त्र को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अवश्य ही संसूचित की जाएगी। (6) यदि परिषद् द्वारा गठित मान्यता समिति किसी मदरसे को मान्यता हेतु उपयुक्त नहीं पाती है तो मान्यता समिति लिखित रूप से इसका कारण स्पष्ट करेगी। (7) मदरसा प्रबंध तन्त्र को निबन्धक उन कारणों को लिखित रूप से संसूचित करेगा, जिसके कारण प्रश्नगत मदरसा मान्यता के लिए अनुपयुक्त पाया गया है। यदि मदरसे का प्रबंध तन्त्र कमियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनर्विचार हेतु आवेदन करता है तो मान्यता समिति अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी। (8) आवेदक, प्रबंध तन्त्र से पृथक शाखा के लिए आवेदन इस शर्त के अन्तर्गत करेगा कि प्रश्नगत् शाखा 3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित न हो। स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसा, जो निजी भवन की शर्त पूर्ण करता हो, का अन्य स्थान पर परिवर्तन/स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। (9) मान्यता हेतु प्राप्त आवेदनों के लिए निबन्धक के कार्यालय में एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा। वर्ष के अन्त तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्र और जो विचाराधीन हैं, अगले वर्ष के लिए रजिस्टर में दर्ज किये जाएंगे। मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए एक स्थायी रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें मान्यता प्राप्त मदरसों की प्रविष्टियां निबन्धक के हस्ताक्षर के अधीन की जाएगी। (10) मान्यता आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सूचनाएं एवं विवरण संलग्न किये जाएंगे। (क) मुस्लिमों द्वारा स्थापित मदरसे की संस्थापक सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हों, का प्रमाण पत्र, वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत एवं ट्रस्ट के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा उस सोसाइटी के संविधान (दस्तूरूल अमल) की प्रमाणित प्रतिलिपि। (ख) प्रबन्ध समिति का विस्तृत विवरण तथा उसके सदस्यों एवं पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची, जिसमें उनका नाम, पता, दूरभाष संख्या, ई–मेल आई.डी. तथा व्यवसाय भी अंकित हो। (ग) सभापति एवं प्रबंधक के हस्ताक्षरों से प्रमाणित प्रशासन योजना का विवरण, जो उसके नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्मित हो। (घ) मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा पारित इस आशय के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि कि शासन एवं विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का प्रबंध तन्त्र अनुपालन करेगा। (ङ) शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का विवरण। (च) कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या। (छ) भूमि एवं भवन सम्बन्धी स्वामित्व के साक्ष्य सहित विवरण। (ज) विन्यास निधि, संरक्षित कोष, मान्यता शुल्क एवं आवेदन पत्र शुल्क जमा होने का प्रमाण। (झ) गत वर्ष का परीक्षाफल (यदि अपेक्षित हो)। (ञ) स्थायी मान्यता, यदि पूर्व में प्राप्त की गयी है।
मदरसा के अभिलेख	8.	(1) अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत विहित अभिलेखों के अतिरिक्त प्रत्येक मदरसे में निम्नलिखित अभिलेख भी अनुरक्षित किये जायेंगे :– (क) प्रवेश पंजिका (प्रवेश प्रपत्रों सहित), आय व्यय पंजिका (रोकड़बही), लेजर, बाउचर, गार्ड फाईल तथा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका।

		(ख) विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। (ग) वेतन वितरण पंजिका। (घ) पुस्तकालय पंजी एवं निर्गम पंजी। (ङ) फिटिंग फिक्सचर स्टाक पंजी। (च) आदेश पंजिका/सूचना पंजिका/लेजर पंजी। (छ) प्रबंध समिति की कार्यवाही पंजिका एवं कार्यसूची रजिस्टर। (ज) शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा पंजिका तथा चरित्र पंजी (व्यक्तिगत पत्रावली सहित)।
मान्यता के बाद सामान्य शर्तें	9.	प्रत्येक मान्यता प्राप्त मदरसा निम्नलिखित सामान्य शर्तों का पालन करेगा :– (क) मान्यता प्राप्त मदरसे की प्रबन्ध समिति मदरसा के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करेगी। (ख) मान्यता प्राप्त मदरसों में परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु कोई अतिरिक्त पाठ्यक्रम या पुस्तकें बिना परिषद् के अनुमोदन के लागू नहीं होंगी। (ग) मान्यता प्राप्त मदरसे के संचालन की देखभाल करने वाले प्रबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि अधिनियम के प्रावधानों तथा उक्त आधार पर विभाग द्वारा प्रख्यापित विनियमों/निर्देशों का पालन करें। (घ) मदरसे का निरीक्षण, निरीक्षक, अरबी मदरसा द्वारा स्वयं तथा उप निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। (ङ) प्रबंध समिति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण कराएगी तथा मदरसे का संविधान शिया/सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के प्रजातान्त्रिक अधिकारों पर आधारित होगा। (च) सहायता प्राप्त मदरसों में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। (छ) शासकीय निधियों से सम्बन्धित मदरसों के समस्त खाते सी.बी.एस. सुविधायुक्त डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक में उचित ढंग से अनुरक्षित किये जायेंगे तथा प्रबन्धक एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही आहरण किया जा सकेगा। (ज)सभी विषयों की शिक्षा दी जायेगी, परन्तु शिक्षण का माध्यम उर्दू, अरबी एवं फारसी होगा।
मान्यता प्रदान किया जाना	10.	मुन्शी/मौलवी/आलिम/कामिल/फाजिल स्तर तक की कक्षाओं एवं परीक्षाओं तथा अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों/कक्षाओं की मान्यता परिषद् की मान्यता समिति द्वारा दी जायेगी।
मान्यता समिति	11.	मान्यता समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा :– (i) परिषद् द्वारा नामित सदस्य – अध्यक्ष (ii) परिषद् का शिक्षाविद् श्रेणी का सदस्य – सदस्य (iii) परिषद् का प्रधानाध्यापक श्रेणी का सदस्य – सदस्य (iv) परिषद् का उप निबन्धक – सदस्य सचिव
मान्यता का निलम्बन एवं प्रत्याहरण	12.	(1) निबन्धक अथवा उनके द्वारा नामित परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा कभी भी मदरसा का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा मदरसे के अभिलेख उनके समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि निरीक्षण के समय अथवा अन्यथा यह संज्ञान में आता है कि मदरसा मान्यता की एक या अधिक शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर निबन्धक द्वारा मदरसा की कमियों के निराकरण हेतु लिखित निर्देश दिए जायेंगे।

		(2). मान्यता की शर्तों एवं परिषद् के आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर परिषद् के निबन्धक द्वारा मदरसे को नोटिस दी जायेगी और यदि मदरसे का उत्तर असन्तोषजनक होता है अथवा नियत समय में उत्तर दिया ही नहीं जाता है, तो नोटिस देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए, मदरसे की मान्यता निलम्बित की जा सकेगी। मदरसा प्रबन्ध तन्त्र की ओर से प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि मदरसे द्वारा शर्तों का पालन कर लिया गया है, तो निलम्बन प्रतिसंहरित किया जा सकेगा। (3) यदि निबन्धक द्वारा मान्यता के निलम्बन के बावजूद मदरसा लगातार तीन वर्षों तक शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो परिषद् की मान्यता समिति, मान्यता का प्रत्याहरण कर सकती है, परन्तु ऐसा करने से पूर्व मदरसा के प्रबन्ध तन्त्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। (4) यदि अस्थाई मान्यता की अवधि में निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों का अनुपालन नहीं पाया जाता है अथवा नियम/शर्तों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है तो निबन्धक विसंगतियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित मदरसा को स्पष्ट रूप से लिखित निर्देश देगा तथा यदि नियत समय के भीतर दिया गया उत्तर असन्तोषजनक पाया जाता है अथवा उत्तर नहीं दिया जाता है तो मदरसा को नोटिस देने के उपरान्त मान्यता समिति के अनुमोदन से मदरसे को प्रदत्त मान्यता का प्रत्याहरण कर लेगा। (5) निलम्बित मान्यता का प्रत्यावर्तन मदरसे की वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी। (6) स्थायी मान्यता के प्रत्याहरण की दशा में प्रश्नगत संस्था किसी शासकीय अनुदान, यदि पूर्व में दिया जा रहा हो, के लिए अधिकृत नहीं होगी। **टिप्पणी:**–परिषद् की समिति के गठित नहीं होने की अवधि के दौरान समस्त कार्य निबन्धक की सहमति/अनुमति से सम्पादित किए जायेंगे।
कठिनाईयों के निवारण की शक्ति	13.	असाधारण परिस्थितियों में राज्य सरकार को 02 वर्ष तक इस विनियम में से एक या अधिक नियमों को शिथिल करने या संशोधन करने अथवा समय–समय पर शिक्षण के सुधार के दृष्टिगत निर्देश देने का अधिकार होगा।

एल0 फैनई,
सचिव।